Signature: ...
ACC Name- Heera Lal ACC Code- UP14188804
ACC Address- Sadar Mobile 6392102489
License ... Tehsil & District- Sadar, Gorakhpur

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP62169521089948V
Certificate Issued Date	:	17-Jul-2023 06:11 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14188804/ GORAKHPUR SADAR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1418880419444839649897V
Purchased by	:	PRASHANT KUMAR SINGH S O SHRIKANT SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	PRASHANT KUMAR SINGH S O SHRIKANT SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	PRASHANT KUMAR SINGH S O SHRIKANT SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

Please write or type below this line

Prashant Ku. Singh

JD 0040595687

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHIL

IV 202/23

ट्रस्ट डीड (न्यास पत्र)

हमकि **प्रशान्त कुमार सिंह पुत्र श्री श्रीकान्त सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–धवरियासाथ, जिला–मऊ वर्तमान पता मुहल्ला–सेमरा नं0 1, पोस्ट–चरगांवा, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर (उ0प्र0) का हूँ।** हम समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते हैं तथा हमारे मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूल–भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा शिक्षित बेरोजगारों में उद्यमिता का विकास कर उनके योग्यता एवं शिक्षा के अनुरूप तकनीकी व व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही साथ मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए हम सदैव प्रयासरत रहते हैं। जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिये विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हमारे द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हमारे द्वारा अपने उक्त प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करने के लिये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत **10000/–(दस हजार) रूपये** का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। उक्त रूप में स्थापित ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत हमारे द्वारा एक न्यासपत्र को भी निष्पादित किया गया है जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी:–

1. यहकि हमारे द्वारा स्थापित ट्रस्ट का नाम **"पैसिफिक ग्रुफ आफ एजूकेशन ट्रस्ट"** होगा, जिसे न्यासपत्र में आगे **"न्यास"** अथवा **"ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यहकि हमारे द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय **मुहल्ला–सेमरा नं0 1, पोस्ट–चरगांवा, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर (उ0प्र0)** में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बाबत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर इस ट्रस्ट के द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।

Prashant Kr Singh

हमारे द्वारा स्थापित ट्रस्ट का कार्यकाल ट्रस्ट अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा, जिसे कभी विखण्डित नहीं किया जा सकेगा।

3. यहकि हम स्वयं ट्रस्ट के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी व सचिव/प्रबन्धक भी कहा जायेगा। हमारे द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का न्यासी/ट्रस्टी नामित किया जाता है। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा तथा हमारे द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा संस्थापक मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से ट्रस्टमण्डल/न्यास मण्डल कहा जायेगा। हमारे द्वारा नामित ट्रस्टीगण में से ट्रस्टी श्री अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र श्री केशर सिंह इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी व अध्यक्ष, श्री अभय प्रताप सिंह उपसचिव/उपप्रबन्धक, श्री सत्यम कुमार सिंह उपाध्यक्ष तथा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह कोषाध्यक्ष होंगे तथा उन्हें ट्रस्ट विलेख में निर्धारित अपने पद से सम्बन्धित अधिकार प्राप्त होंगे। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर के द्वारा ट्रस्टी के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया गया है:–

1. श्री अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र श्री केशर सिंह निवासी मकान नं0 4 एन, मोहल्ला–सेमरा नं0 1, पोस्ट–चरगांवा, जिला–गोरखपुर।
2. श्री अभय प्रताप सिंह पुत्र श्री केशर सिंह निवासी मकान नं0 4 एन, मोहल्ला–सेमरा नं0 1, पोस्ट–चरगांवा, जिला–गोरखपुर।
3. श्री सत्यम कुमार सिंह पुत्र डॉ0 बच्चा सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–धवरियासाथ, जिला–मऊ।
4. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 सहजानन्द सिंह निवासी मकान नं0 ई0 डब्लू0 एस0 307, राप्तीनगर फेज–4, पोस्ट–चरगांवा, जिला–गोरखपुर।

4. यहकि हमारे द्वारा **"पैसिफिक ग्रुफ आफ एजूकेशन ट्रस्ट"** के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन से सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न कर समाज के प्रत्येक वर्ग के युवक–युवतियों को उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थागत रूप से आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और जनसामान्य को शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाते हुए प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
3. छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कर नर्सरी, प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल, एवं यू0पी0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0) से अनुमन्य प्राईमरी से लगायत हायर सेकेन्ड्री (10+2) स्तर के विद्यालयों के साथ ही साथ स्नातक, स्नात्तकोत्तर स्तर के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय की स्थापना कर उनका संचालन करना।
4. देश के किसी क्षेत्र में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक की सामान्य शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, गैर तकनीकी शिक्षा, इन्जीनियरिंग एवं डिप्लोमा तथा विधि शिक्षा हेतु पालिटेक्निक, महाविद्यालय एवं शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान स्थापित व संचालित करना।
5. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये टेक्निकल कालेज, पालिटेक्निक व आई0टी0आई0 संस्थान की स्थापना कर अनुमन्य ट्रेड में शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक

Prashant Ku Singh

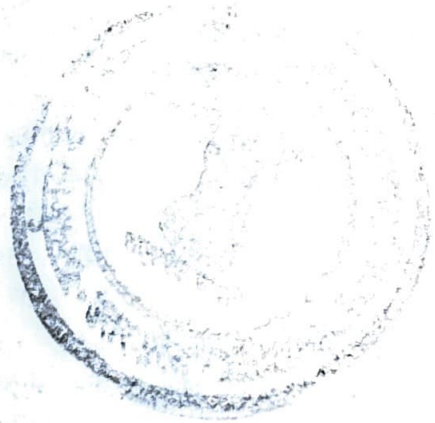

ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीनिंग, पेन्टिग, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत, कुकिंग/बेकरी, मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण, फीटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो व टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, मोटर वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालय, एयर कन्डीशनर रिपेयरिंग, राजगीर मिस्त्री, सरिया फीटर, सटरिंग कारपेन्टर, फर्नीचर कारपेन्टर, प्लम्बर, वेल्डिंग, गैसकटर, ग्राइन्डर, इन्सूलेसन, सेफ्टी आफिसर, मोटर एवं क्रेन आपरेटर, डेन्टिंग, पेन्टिंग, फेब्रीकेटर, मशीन आपरेशन का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के योग्य बनाना और उनके लिये प्रशिक्षण/अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि की व्यवस्था करना।

6. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
7. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या बृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
8. कैन्सर, एड्स, टी0बी0, कुष्ठ, मलेरिया, पोलियो, इन्सेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जनसामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों एवं ब्लड बैंक, ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, चिकित्सालय, नर्सिंग होम व पालीक्लीनिक की स्थापना करना।
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले गरीब व्यक्तियों व उनके परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्य सम्पन्न करना तथा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना।
10. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना तथा कैम्प एवं सेमिनार आयोजित कर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना और स्वच्छता अभियान चलाकर समाज को रोगमुक्त करना। टीकाकरण तथा नेत्र–ज्योति शिविर का आयोजन करना और चिकित्सालयों का निर्माण कर स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य संचालित करना।
11. शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराने से सम्बन्धित संसाधनों की व्यवस्था कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक इकाईयों की स्थापना कर प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, मार्केटिंग से सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करना। आवश्यक होने पर पेट्रोल/डीजल/गैस पम्प की स्थापना व संचालन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्य करना।
12. गरीब बच्चों को केन्द्र या राज्य से सहायता प्राप्त होने पर कापी, किताब, स्कूल बैग व स्कूल ड्रेस एवं कम्बल का वितरण करना।
13. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बूटी वाले मेडिसिनल प्लान्ट व आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना।
14. पर्यावरण से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य कर प्रदूषण नियन्त्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन तथा वृक्षारोपड़ एवं वन विकास से सम्बन्धित कार्यों को करना। नदियों तथा तालाबों की स्वच्छता के लिए आवश्यक कार्यक्रम चलाना।

Prashant Kr. Singh

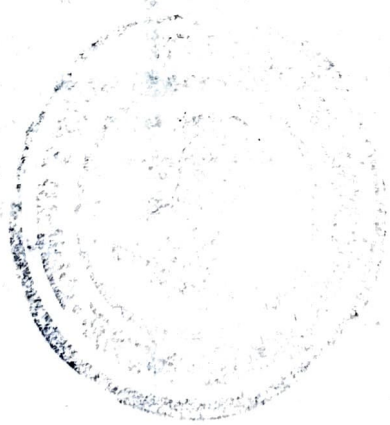

15. गोवंश की रक्षा, भरण पोषण इत्यादि की व्यवस्था करना और इस हेतु गौशालाओं की स्थापना करना तथा डेयरी फार्म व दुग्ध विकास के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु आवश्यक कार्यों को निःस्वार्थभाव से करना तथा देशी गो वंश का संरक्षण व संवर्धन करना।
16. कृषि, गौ, वन्य औषधियों एवं जीव–जन्तुओं का संरक्षण एवं परिपोषण करना।
17. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये–नये वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कराना तथा कृषि से सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हे प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना।
18. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, गत्स्य पालन की व्यवस्था कराना।
19. खाद्य प्रसंस्करण तथा फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
20. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन करना।
21. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब, निराश्रित, अनाथ बच्चों, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोगो को सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना तथा इस हेतु विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन की व्यवस्था करना।
22. विकलांगो के विकास एवं उनके पुर्नवास की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करना और महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
23. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना।
24. विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधायुक्त प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना।
25. यूनीसेफ, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन व कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन करना।
26. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना और विभिन्न त्यौहारों और समारोहों पर होने वाले भोजन, अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु प्रयास करना। इसके अलावा भूखे व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए लंगर का संचालन करना।
27. धार्मिक व अन्य सामाजिक हित के कार्य हेतु निर्माण व मरम्मत कराना और इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करना तथा मानव की मानसिक कुण्ठा एवं शारीरिक दुर्बलता को दूर कर स्वास्थ्य और सौहार्द्र स्थापित करना और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं (अन्न, वस्त्र, आवास, औषधि और शिक्षा) से वंचित मनुष्यों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अन्नपूर्णा क्षेत्रों की स्थापना करना।
28. उपेक्षित और अपमानित माताओं–पिताओं के लिये श्रवण धाम की स्थापना करना, जिससे वे अपनी शेष जीवन यात्रा प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण कर सकें। इस हेतु निराश्रित लोगों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण कराना।
29. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे–योग, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, कबड्डी तथा अन्य ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा उनका प्रशिक्षण/प्रतियोगिता कराना।
30. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क, खड़न्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था तथा जमीन जायदाद व रियल स्टेट का भी कार्य करना।
31. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित कर अन्य सरकारी या गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0 जी0 ओ0, एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता

Prashant Ku. Singh

देकर उनके किया–कलापों में सहयोग देना तथा सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं/ कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना।

32. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. **ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्य–**

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति तथा इसके विभिन्न ईकाइयों के सुचारू व्यवस्था हेतु संस्थाओं की स्थापना कर इसके समितियों व उपसमितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू संचालन के लिये आवश्यक होने पर अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्ध समिति के गठन हेतु पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित करना तथा आवश्यकतानुसार साधारण सभा का गठन करना।
5. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
7. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
9. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, षोध केन्द्रों व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, गैर–सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों तथा नियमानुसार विदेशी सहायता/अनुदान से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना। इस सम्बन्ध में आवश्यक होने पर ट्रस्ट के सम्पत्तियों को बंधक इत्यादि रखने से सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करना और इस हेतु दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी सहित अन्य ट्रस्टी को अधिकृत करना।
11. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्टमण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।
12. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा–80 जी. के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने तथा विदेशी सहायता/फण्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।

Prashant Kr. Singh.

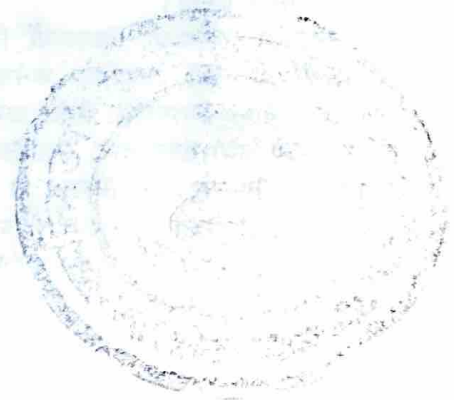

13. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर–तकनीकी विद्यालयों एवं इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर आवश्यक कार्य करना।

6. **ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था**

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगाः–

1. हम स्वयं संस्थापक मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्ट के सचिव/प्रबन्धक होंगे तथा ट्रस्टी अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र श्री केशर सिंह मैनेजिंग ट्रस्टी व अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त ट्रस्टी श्री अभय प्रताप सिंह उपसचिव/उपप्रबन्धक, ट्रस्टी श्री सत्यम कुमार सिंह उपाध्यक्ष तथा ट्रस्टी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह कोषाध्यक्ष होंगे। ट्रस्ट एवं ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए आवश्यक होने पर अध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक, उपसचिव/उपप्रबन्धक, उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष का पद एक निर्धारित अन्तराल जिसे ट्रस्ट मण्डल के कम से कम चार ट्रस्टीगण के द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तावित किये जाने पर ट्रस्ट मण्डल द्वारा निर्धारित किया जायेगा, आपस में परिवर्तनीय हो सकेगा। ट्रस्ट के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी हम स्वयं एवं हमारे द्वारा नामित मैनेजिंग ट्रस्टी अखण्ड प्रताप सिंह के साथ ही साथ अन्य ट्रस्टीगण को अपने जीवनकाल में अपने स्थान पर अगले ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक अथवा अन्य ट्रस्टीगण के द्वारा अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व किसी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टीगण/न्यासियों को मृत ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा। परन्तु ट्रस्टी की नियुक्ति ट्रस्ट मण्डल के शेष ट्रस्टीगण के द्वारा उनकी योग्यता एवं ट्रस्ट हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।
2. हम मुख्य ट्रस्टी एवं हमारे द्वारा नामित मैनेजिंग ट्रस्टी व सचिव/प्रबन्धक श्री अखण्ड प्रताप सिंह में से किसी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी उनके स्थान पर ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होंगे।
3. हम संस्थापक मुख्य ट्रस्टी तथा हमारे द्वारा नामित मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अखण्ड प्रताप सिंह, ट्रस्टी व उपसचिव/उपप्रबन्धक श्री अभय प्रताप सिंह, ट्रस्टी व उपाध्यक्ष श्री सत्यम कुमार सिंह एवं ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा। ट्रस्ट मण्डल में इस प्रकार की कोई रिक्ति होने पर उसकी पूर्ति सम्बन्धित ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से की जायेगी, यदि किसी ट्रस्टी के एक से अधिक उत्तराधिकारी है तो उनमें से योग्य एवं ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले पदाधिकारी को ट्रस्ट में सम्मिलित किये जाने का निर्णय ट्रस्ट मण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा। ट्रस्ट मण्डल के किसी ट्रस्टी की मृत्यु होने अथवा उनके द्वारा स्वेच्छा से अपने ट्रस्टी पद से त्यागपत्र दिये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में ट्रस्ट मण्डल से पृथक नहीं किया जा सकेगा। भविष्य में ट्रस्ट के नियमों के अनुसार नामित/चयनित किये गये विधिक उत्तराधिकारी ट्रस्टीगण के सम्बन्ध में भी यह नियम मान्य व प्रभावी होगा।
4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी को 3 माह की नोटिस देकर स्वेच्छा से अपने पद से त्यागपत्र देने का अधिकार होगा, परन्तु प्रतिबन्ध है कि इस दशा में सम्बन्धित ट्रस्टी के द्वारा ट्रस्ट के सभी प्रकार के लेन–देन से सम्बन्धित उत्तरदायित्व का सम्पूर्ण हिसाब–किताब

Prashant Kr Singh

निस्तारित कराने की अनिवार्यता होगी। उक्त रूप में ट्रस्ट मण्डल में हुए रिक्त स्थान की पूर्ति पूर्व पैरा में दिये गये नियमों के अनुसार की जायेगी।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशनः

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 7 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी सचिव द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. मुख्य ट्रस्टी व अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक सहित अन्य बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।
3. ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को आयोजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करना तथा बैठकों की तिथि को अनुमोदित, स्थगित व निरस्त करना।
4. ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और समय समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा प्रबन्धक व अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों से सहयोग व सहायता प्राप्त करना।
5. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट एवं ट्रस्ट से संचालित शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार के अनुशासनिक कार्यवाही सम्पन्न करने, निलम्बित एवं सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में अध्यक्ष के सहमति की अनिवार्यता होगी।
7. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उन्हें प्राप्त अधिकार एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपाध्यक्ष अधिकृत होंगे।

8. सचिव/प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव व प्रबन्धक के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
3. ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को अध्यक्ष की सहमति से आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
4. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
5. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा इस कार्य के लिए अध्यक्ष की सहमति से अधिवक्ता नियुक्त करना।
6. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यो को करना।

Prashant Kr. Singh

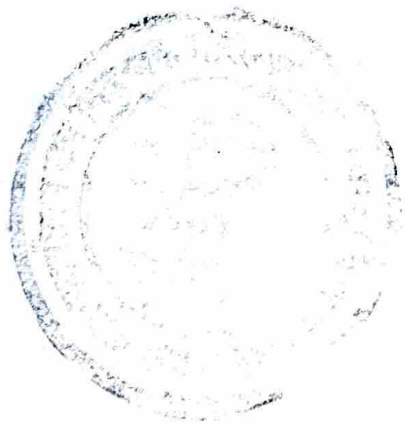

7. सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उन्हें प्राप्त अधिकार एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए उपप्रबन्धक अधिकृत होंगे।

9. **कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–**

1. ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के नाम बैंक में खोले गये खाते में जमा करने तथा उसके आय–व्यय का समुचित लेखा–जोखा तैयार करने की व्यवस्था करना।
2. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना तथा ट्रस्ट के वित्तीय हितों की सुरक्षा करना।
3. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा व रिर्पोट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना और उसकी रिपोर्ट ट्रस्टमण्डल के समक्ष रखना।
4. ट्रस्ट के वित्तीय हितों की सुरक्षा के वावत आवश्यक कार्य करना।

10. **ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था**

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियाँ निहित होगी। ट्रस्ट के नाम मुख्य ट्रस्टी व अध्यक्ष तथा मैनेजिंग ट्रस्टी व सचिव/प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक में खाता खोलकर दोनों लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।

11. **ट्रस्ट के अभिलेख :**

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी व सचिव/प्रबन्धक तथा मैनेजिंग ट्रस्टी व अध्यक्ष का होगा। प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा रजिस्टर रखा जायेगा। ट्रस्ट की प्रत्येक कार्यवाही को रजिस्टर लिखे जाने पर सम्बन्धित बैठक में उपस्थित ट्रस्टीगण के द्वारा हस्ताक्षरित करने के उपरान्त उसके कार्यवृत्ति की 5 फोटो प्रति तैयार कर बैठक में उपस्थित होने वाले ट्रस्टीगण के द्वारा अपने संयुक्त हस्ताक्षर से सत्यापित करने के उपरान्त सभी ट्रस्टीगण को एक–एक प्रति उपलब्ध कराया जायेगा।

12. **ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्थाः–**

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगीः–

1. ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व सचिव/प्रबन्धक अकेले अथवा ट्रस्ट के स्थापना के समय हमारे द्वारा नामित ट्रस्टी व अध्यक्ष श्री अखण्ड प्रताप सिंह संयुक्त रूप से अधिकृत होंगे। भविष्य में ट्रस्ट के नियमों के अनुसार नामित उनके विधिक उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में भी यह नियम प्रभावी होगा।
2. ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को नियमानुसार विधिक अनुगति प्राप्त कर किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

Prashant Kr. Singh

आवेदन सं॰: 202300950027114

न्यास पत्र

बही स॰: 4 रजिस्ट्रेशन स॰: 202 वर्ष: 2023

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री प्रशान्त कुमार सिंह ,
पुत्र श्री श्रीकान्त सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: मुहल्ला–सेमरा नं॰ 1, पोस्ट–घरगांवा, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 18/07/2023 एवं 01:59:53 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रजत श्रेष्ठ प्रभारी
उप निबंधक :सदर प्रथम
गोरखपुर
18/07/2023

रजत श्रेष्ठ कनिष्ठ सहायक
निबंधक लिपिक
18/07/2023

प्रिंट करें

3. ट्रस्ट के द्वारा स्थापित विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था संस्थापक मुख्य ट्रस्टी व सचिव/प्रबन्धक तथा मैनेजिंग ट्रस्टी व अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से किये जाने की स्थिति में उस पर शैक्षणिक परिसर से सम्बन्धित भवन निर्माण के लिए दोनों पदाधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

4. ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मैनेजिंग ट्रस्टी व सचिव/प्रबन्धक तथा सचिव/प्रबन्धक के द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

5. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी ट्रस्ट की ओर से पैरवी मैनेजिंग ट्रस्टी व सचिव/प्रबन्धक तथा मुख्य ट्रस्टी व अध्यक्ष के द्वारा की जायेगी।

6. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

7. ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

8. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत भी यह शर्तें लागू होगीं।

13. ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड व सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में शासन के निम्नांकित प्रतिबन्ध स्वीकार होंगे–

a. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

b. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

c. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

d. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

e. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Raghuraj Singh

आवेदन सं॰: 202300950027114

बही स॰: 4 रजिस्ट्रेशन स॰: 202 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि के प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रशान्त कुमार सिंह, पुत्र श्री श्रीकान्त सिंह

निवासी: मुहल्ला–सेमरा नं॰ 1, पोस्ट–चरगांवा, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सौरभ त्रिपाठी , पुत्र श्री सहेन्द्र त्रिपाठी

निवासी: मुहल्ला–सेमरा नं॰ 1, पोस्ट–चरगांवा, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री आदित्य कुमार यादव, पुत्र श्री राम नारायन यादव

निवासी: छपरा, प्राथमिक विद्यालय कुईबाजार, बरही, जिला–गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रजत श्रेष्ठ प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर
18/07/2023

ने की। प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी:

रजत श्रेष्ठ कनिष्ठ सहायक
निबंधक लिपिक गोरखपुर
18/07/2023

प्रिंट करें

f. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।

g. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

h. उक्त शर्तों में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

घोषणा

"पैसिफिक ग्रुफ आफ एजूकेशन ट्रस्ट" की तरफ से हम **प्रशान्त कुमार सिंह** संस्थापक मैनेजिंग ट्रस्टी व सचिव/प्रबन्धक के रूप में यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस ट्रस्ट का विधिवत् गठन हो सके। यह भी घोषित करते है कि ट्रस्ट के स्थापना के समय इस ट्रस्ट विलेख में उल्लिखित 10000.00 रुपये की धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है।

हस्ताक्षर संस्थापक मुख्य ट्रस्टी

Prashant Ku. Singh

हस्ताक्षर साक्षीगण:

1. Saurabh Tripathi
S/o Sahendra Tripathi
Add 130L, Semra no.1
Chargawan, Gorakhpur.

2. Aditya kumar yadav
S/o Ram Narayan yadav
Add. - Chhapara, Prathmic
Vidhyalay, Kuin Bazar, Barahi
Dist. - Gorakhpur

Vijay Rawat
Adwocate

दिनांक 18/7/2023

प्रारूपकर्ता
विजय कुमार रावत
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, गोरखपुर

आवेदन सं०: 202300950027114

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 330 के पृष्ठ 211 से 232 तक क्रमांक 202 पर दिनाँक 18/07/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रजत श्रेष्ठ

रजत श्रेष्ठ प्रभारी

उप निबंधक : सदर प्रथम

गोरखपुर

18/07/2023

प्रिंट करें